

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आर.टी.एस.)

मि.न.— 184 / 2017

दिनांक—6.3.18

निर्णय

सराकर बनाम छंगाराम

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पनियाला ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली के ख0 न02/1.0है0 किस्म बजंड मेंसे 0.10है 0पर छंगाराम दत्तक पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी कालूहेडा तहसील कोटपूतली ने सरसों कास्त कर अवैध रूप सं अतिक्रमण कर लिया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3)के तहत नोटिस दिया गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किया गया ।सूचना के उपरान्त गैरसायल स्वयं उपस्थित आये कोई जबाब पेश नहीं किया । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

अतः गैरसायल छंगाराम दत्तकपुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालूहेडा को ग्राम कालूहेडा के आराजी खसरा नंबर 2/1.0है0किस्म जमीन बजंड में से 0.10है0 पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजीयात से बेदखल किया जाता है,तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30रु. का पचास गुणा 15रु. का जुर्माना किया जाता है ,एवं उक्त आराजीयात पर खडी फसल सरसों को कब्जेराज ली जाकर फसल निलामी की जावे,पालनार्थ आई.एल.आर./पटवारी हल्का को लिखा जावे । जमा कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे, बाद पालना प्रत्रावली दिनांक23.3.18 को पेश हो।पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6.3.18को सर्रे इजलास सुनाया गया†

17-18 ले 9  
74 पर 15  
राजसूय  
कोटपूतली